अक्टूबर, 2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सार

I. इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022, राजकोट, गुजरात

i. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 19-21 अक्टूबर 2022 तक शास्त्री मैदान, राजकोट, गुजरात में एक तीन दिवसीय कार्यक्रम अर्थात 'इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव-2022' (आईयूएचसी 2022) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री ने किया था। इस कार्यक्रम में 19.10.2022 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राजकोट, गुजरात में लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) का उद्घाटन और लाभार्थियों को आवासों की सुपुदर्गी सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रकाशनों, सार-संग्रह और मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पुस्तकों का विमोचन किया गया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूएलबी द्वारा उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए पीएमएवाई (यू) अवाड्र्स 2021 के माध्यम से एक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पुरस्कार दिए गए और शेष को माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन फिजिकल के साथ-साथ वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग वाले वर्चुअल मोड में किया गया था। इस आयोजन में निम्नलिखित घटक भी शामिल थे

•नवाचार निर्माण पद्धतियों पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी
• आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के परिवर्तनकारी शहरी मिशनों पर प्रदर्शनी
• पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रदर्शनी
• अफोर्डेबल हाउसिंग डिस्कोर्स पर तीन दिवसीय विचार-विमर्श

कॉन्क्लेव की योजना "फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया" विजन को हासिल करने की रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करने में मदद करने के साथ-साथ सीमा क्षेत्र का विस्तार करने और सुस्थिर विकास के लिए निर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन लाने में मदद करने के लिए बनाई गई है।

II. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और

14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापत्तनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय "एसबीएम शौचालय" के नाम से गूगल मानचित्र पर हैं।

iii. स्वच्छता ऐप संबंधित नगर निगम द्वारा नागरिकों को उनकी शिकायतों को दूर करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है जो संकल्प से अधिक 94% है।

iv. कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल (जीएफसी) के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1, 5-स्टार प्रमाणन 11, 3-स्टार प्रमाणन 199 और 1-स्टार प्रमाणन 234 है। एसबीएम 2.0 के अंत तक कम से कम हर शहर को 3 स्टार बनाने के लिए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक शहर जीएफसी के तहत प्रमाणित हों, तिमाही आधार पर जीएफसी आकलन किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, इस तिमाही के लिए जीएफसी प्रमाणन हेतु यूएलबी के लिए एप्लिकेशन विंडो 15 नवंबर 2022 से स्वच्छता पोर्टल पर खोली जाएगी।

v. संपूर्ण भारत में लगभग 45,000 स्कूलों के 75 लाख से अधिक छात्रों ने कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्रोत पर गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है। इसके अलावा, नागरिकों, सामुदायिक समूहों और संगठनों ने अपने शहर के शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों के मार्गदर्शन में इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के कॉल टू एक्शन के रूप में "हरा गिला सूखा नीला" (गीले अपशिष्ट के लिए हरा बिन और सूखे कचरे के लिए नीला बिन) के साथ "स्वच्छता के दो रंग (सफाई के दो रंग)" नामक अभियान स्रोत पर न्यूनतम दो-बिन पृथक्करण पर जोर दिया गया।

III. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

i. माह के दौरान 8,858 करोड़ रुपये की 198 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, 2,731 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। अब तक 1,81,846 करोड़

रुपये की 7,714 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 91,462 करोड़ रुपये की 4,868 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

ii. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का संचालन किया गया। आईसीसीसी शहर प्रबंधन में सुधार करेगा, नगरपालिका सेवा प्रदान करने को एकीकृत करेगा, बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करेगा, शहरी सेवा प्रदान करने में दक्षता में वृद्धि करेगा और एक समावेशी और स्थायी तरीके से डेटा-आधारित शासन सुनिश्चित करेगा।

iii. सभी स्मार्ट शहरों में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 'ओपन स्ट्रीट कैंपेन' शुरू किया गया था। ओपन स्ट्रीट्स अभियान एक आवर्ती कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य मार्गों को खेल खेलने, व्यायाम करने और दोस्तों के साथ सामाजिक बनने के लिए मार्गों को खोलकर सुरक्षित, खुश और स्वस्थ सार्वजनिक स्थानों के रूप में फिर से कल्पना करना है।

iv. एससीएम ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डेटा पहल पर एक कार्यशाला आयोजित की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में भारतीय शहरी वेधशाला (आईयूओ) में आयोजित कार्यशाला में नीति आयोग और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

v. अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 (यूओएफ 2022) के लिए दूसरी ओरिएंटेशन कार्यशाला पुणे स्मार्ट सिटी में आयोजित की गई थी। इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी 100 स्मार्ट शहरों को आमंत्रित किया गया था। यूओएफ 2022 का उद्देश्य शहर के परिणामों के आधार पर एक क्रॉस-सेक्टोरल शहरी डेटा बैंक बनाना है।

IV. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, 82,903 करोड़ रू. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदन दिया गया है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं आरंभ कर दी हैं। ऐसे मामलों में संपूर्ण अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 32,372

करोड़ रुपये की 4,626 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 50,121 करोड़ रुपये की 1,246 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में लगभग 65,819 करोड़ रु. का भौतिक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 85% भौतिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ii. अब तक, परियोजना कार्यान्वयन (पूर्व जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन के लिए और अमृत शहरों में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान' तैयार करने पर तथा 25 चयनित शहरों में 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और नगर आयोजन योजना (टीपीएस)' पर उप-योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 37,493 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

iii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 11 से 18 अक्टूबर 2022 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 'टूलकिट और पेय जल सर्वेक्षण' के पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की।

V. दीनदयाल अंत्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 7,066 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं; 6,440 एसएचजी को परिक्रामी निधि दी गई; 21,247 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए; 5,229 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिया गया; 5,769 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 12,699 ऋण प्रदान किए गए।

ii. इस माह के दौरान मिशन के तहत कुल 25.32 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VI. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत, 57,16,908 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40,97,773 संस्वीकृतियां दी गई हैं और 36,54,561 संवितरण किए गए हैं।

ii. इस माह के दौरान मिशन के तहत कुल 5.957 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VII. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सबके लिए आवास (एचएफए)

i. शुरूआत से लेकर अब तक, मिशन में 1.23 करोड़ आवसों को संस्वीकृति दी गई है, जिनमें से 105.32 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 64.33 लाख आवासों को पूर्ण/सुपुर्द किया जा चुका है।

ii. अक्टूबर, 2022 के दौरान पीएमएवाई मिशन के तहत कुल 163.72 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

VIII. आवासन

i. नागालैंड, जो नियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियम अधिसूचित किए हैं।

ii. 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित - 25, अंतरिम - 06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है और विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना अभी की जानी है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम-04) की स्थापना की है।

iv. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का प्रचालन आरंभ कर दिया है।

v. देश भर में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अब तक 1,01,599 शिकायतों (इस माह के दौरान 1,412 शिकायतों सहित) का निपटान किया गया है।

vi. अब तक 92,515 भू-संपदा परियोजनाओं और 70,602 भू-संपदा एजेंटों ने रेरा के तहत पंजीकरण कराया है। इस माह के दौरान 1,231 परियोजनाओं और 1,384 एजेंटों का पंजीकरण किया गया है।

*****